नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 295/2018

GCMS CASE NO-2018/00272

1. रूकमणी देवी पत्नी श्री मोटाराम जाति जाट साकिन सोमासर तहसील सूरतगढ
2. नत्थूराम पुत्र श्री मोटाराम जाति जाट साकिन सोमासर तहसील सूरतगढ
3. गुडडी पुत्री श्री मोटाराम अकवाम जाट साकिन सोमासर तहसील सूरतगढ
4. चन्द्रकला पुत्री श्री मोटाराम अकवाम जाट साकिन सोमासर तहसील सूरतगढ
5. कमला पुत्री श्री मोटाराम अकवाम जाट साकिन सोमासर तहसील सूरतगढ

......अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) सूरतगढ़।

.......रेस्पो.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री शीशपाल शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज. तहसीलदार(राजस्व) सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला-श्रीगंगानगर)

– : : निर्णय : : –

दिनांकः– 12.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलांट ने अदालत में अपील प्रस्तुत करके निवेदन किया हैं कि अपीलांट को रोही सोमासर् के खसरा नम्बर 75/4 में 20.16 बीघा व ख.न. 75/28 में 4.09 बीघा रकबा कुल 25.00 बीघा रकबा टीसी से पुख्ता आवंटन दर्ज होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा है। इस रकबा का चकबंदी का कार्य जैरकार है। अपीलांटगण के रकबा से चक 191.500 आरडीएल–बी के प.न. 74/12 का कि.न. 5,6,15,16 का 4.00 बीघा व कि.न. 25 का 10 बिस्वा प.न. 24/20 का कि.न. 1 ता 3 का 3 बीघा व कि.न. 4 का 10 बिस्वा व कि.न. 7 ता 14 का 8.00 बीघा व कि.न. 17 ता 25 का 9.00 बीघा इस प्रकार कुल 25.00 बीघा रकबा पैमूद हुआ है। परंतु पर्चा खतौनी में प.न. 74/12 का कि.न. 5,6,15,16 का 4.00 बीघा व प.न. 74/20 का कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 17 ता 24 का 17.00 बीघा रकबा व प.न. 74/20 के कि.न. 7 व 14 का 2.00 बीघा, प.न. 74/12 का कि.न. 14, 25 का 2 बीघा इस प्रकार कुल 25.00 बीघा रकबा दर्ज किया गया था। अपीलांट के रकबा से चक 191.500 आरडीएल–बी का प.न. 74/12 का कि.न. 14 पैमूद नहीं हुआ है यह रकबा लेखराम पुत्र टीकूराम के कब्जा काश्त में है व अपीलांटगण के कब्जा काश्त में प.न. 74/20 का कि.न. 4 व 25 का 2.00 बीघा जो ओमप्रकाश वगै0 पिसरान रूपाराम के नाम दर्ज कर दिया है जो हटाया जाकर यह रकबा अपीलांटगण के नाम दर्ज किया जावे। अपीलांटगण के रकबा से चक 191.500 आरडीएल–बी का प.न. 74/12 पूर्व पर्चा खतौनी में मातहत न्यायालय ने इस प.न. को 75/12 अंकित कर दिया था। परंतु बाद में प.न. दुरूस्त कर दिया है लेकिन प्रार्थीगण का

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला-श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 13:03:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

प.न. 74/20 में अन्य रकबा के साथ कि.न. 4 व 25 के रकबा पर भी कब्जा काश्त चला आ रहा है परंतु मातहत न्यायालय के आदेशों में पटवारी हल्का न तो मौका पर गया व ना ही गिरदावर गया बिना जाये ही पूर्णतया एकतरफा तौर पर अपीलांटगण ाक प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्ती योग्य है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय संशोधन कर रोही सोमासर से पैमूद चक 191.500 आरडीएल–बी के प.न. 75/20 के कि.न. 4 का 10 बिस्वा व कि.न. 25 का 1.00 बीघा कुल 1.10 बीघा रकबा अपीलांटगण के नाम से पर्चा खतौनी मे दिया जाकर इसी अनुसार जमाबंदी तैयार की जावे।

गुणावगुण के आधार पर विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में ही दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि रोही सोमासर के खसरा नम्बर 75/4 में 20.16 बीघा व ख.न. 75/28 में 4.09 बीघा रकबा कुल 25.00 बीघा रकबा टीसी से पुख्ता आवंटन दर्ज होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा है। इस रकबा का चकबंदी का कार्य जैरकार है। अपीलांटगण के रकबा से चक 191.500 आरडीएल–बी के प.न. 74/12 का कि.न. 5,6,15,16 का 4.00 बीघा व कि.न. 25 का 10 बिस्वा प.न. 24/20 का कि.न. 1 ता 3 का 3 बीघा व कि.न. 4 का 10 बिस्वा व कि.न. 7 ता 14 का 8.00 बीघा व कि.न. 17 ता 25 का 9.00 बीघा इस प्रकार कुल 25.00 बीघा रकबा पैमूद हुआ है। परंतु पर्चा खतौनी में प.न. 74/12 का कि.न. 5,6,15,16 का 4.00 बीघा व प.न. 74/20 का कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 17 ता 24 का 17.00 बीघा रकबा व प.न. 74/20 के कि.न. 7 व 14 का 2.00 बीघा, प.न. 74/12 का कि.न. 14, 25 का 2 बीघा इस प्रकार कुल 25.00 बीघा रकबा दर्ज किया गया था। अपीलांट के रकबा से चक 191.500 आरडीएल–बी का प.न. 74/12 का कि.न. 14 पैमूद नहीं हुआ है यह रकबा लेखराम पुत्र टीकूराम के कब्जा काश्त में है व अपीलांटगण के कब्जा काश्त में प.न. 74/20 का कि.न. 4 व 25 का 2.00 बीघा जो ओमप्रकाश वगै0 पिसरान रूपाराम के नाम दर्ज कर दिया है को हटाया जाकर यह रकबा अपीलांटगण के नाम दर्ज किया जावे। अपीलांटगण के रकबा से चक 191.500 आरडीएल–बी का प.न. 74/12 पूर्व पर्चा खतौनी में मातहत न्यायालय ने इस प.न. को 75/12 अंकित कर दिया था। परंतु बाद में प.न. दुरूस्त कर दिया है लेकिन प्रार्थीगण का प.न. 74/20 में अन्य रकबा के साथ कि.न. 4 व 25 के रकबा पर भी कब्जा काश्त चला आ रहा है परंतु मातहत न्यायालय के आदेशों में पटवारी हल्का न तो मौका पर गया व ना ही गिरदावर गया बिना जाये ही पूर्णतया एकतरफा तौर पर अपीलांटगण के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अपीलांटगण के रकबा पैमूद चक 191.500 आरडीएल–बी के प.न. 74/20 के कि.न. 25 पर मौका पर टयूबवैल लगा हुआ है बोरवेल में समर्सिबल मोटर 15 एचपी की लगी हुई है व इस टयूबवैल से ही अपीलांटगण के अन्य रकबा को सिंचाई सुविधा मिलती है। अपीलांटगण का इस कि.न. 25 में 18 बिस्वा रकबा पर टयूबवैल सहित कब्जा काश्त है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्ती योग्य है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय संशोधन कर रोही सोमासर से पैमूद चक 191.500 आरडीएल–बी के प.न. 75/20 के कि.न. 4 का 10 बिस्वा व कि.न. 25 का 1.00 बीघा कुल 1.10 बीघा रकबा अपीलांटगण के नाम से पर्चा खतौनी मे दिया जाकर इसी अनुसार जमाबंदी तैयार की जावे।

विद्वान पैरोकार राज ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि पूर्व में जो फिटिंग की गई हैं, वह जांच करके ही फिटिंग की गई थी व अपीलांट की अपील में कानूनी बल नहीं होने से अपील निरस्त फरमायी जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 13:03:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

उभय पक्षकारो की बहस समायत की गई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया। पत्रावली में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का भी ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया चकबंदी व किला फिटिंग के नियमों का भी सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों का पठन किये जाने से जाहिर होता हैं कि अपीलांट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया गया है। मुताबिक रिकार्ड रोही सोमासर के ख.न. 75/4 में 20.11 बीघा रकबा अपीलांट के नाम पु.आ. दर्ज रिकार्ड है। प.न. 74/12 का कि. न. 14 प्रार्थी के कब्जे में नहीं है। प्रार्थीयान का कब्जा ख.न. 75/28 में दर्ज भूमि 4.09 बीघा प.न. 74/12 के कि.न. 25/1.00 बीघा, 74/20 के कि.न. 7 व 14 में 2 बीघा कुल 3.00 बीघा में कब्जा काश्त है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय विधिनुसार किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा किया जाना उचित नहीं समझते है अतः अपील निरस्त की जानी उचित है।

अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है एवं अदालत मातहत तहसीलदार सूरतगढ़ का प्रकरण संख्या 9/2018 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2018 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मिसल फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अदालत मातहत का रिकार्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(कन्हैयालाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 13:03:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner